दैनिक भास्कर आरा 08-05-2026

कराइ गइ पाच एकड़ भूमि का भी निरीक्षण किया, जहां कॉमफेड के नए प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कॉमफेड प्लांट की स्थापना से दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों एवं पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

सासाराम-आरा-पटना एनएच परियोजना की समीक्षा

दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने एनएचएआई परियोजना के पैकेज-1 अंतर्गत तरारी प्रखंड के कुरमुरी में सासाराम-आरा-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने एनएचएआई अभियंता को सीएनजी कार्य 15 मई 2026 तक हर हाल में पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लंबित रैयतों के भुगतान में तेजी लाने को कहा। इसके बाद उन्होंने पैकेज-2 अंतर्गत गड़हनी प्रखंड के बगवा गांव स्थित इंटरसेक्शन प्वाइंट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी गड़हनी एवं उदवंतनगर को भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया तेज करने तथा एनएचएआई अभियंता को सीएनजी कार्य शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया।

जगदीशपुर में चलाया गया संघर्ष कोष अभियान

जगदीशपुर | भास्कर्या माले के 12वें बिहार राज्य सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर गुरुवार को जगदीशपुर नगर में संघर्ष कोष अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच पर्चा वितरण कर सम्मेलन के प्रचार-प्रसार के साथ आर्थिक सहयोग भी जुटाया। राज्य सम्मेलन आगामी 16 से 18 मई तक दरभंगा में आयोजित होगा।

अभियान के दौरान भाकपा माले जिला कमिटी सदस्य शाहनवाज खान ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब देश में लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश के खिलाफ वामपंथी एवं प्रगतिशील ताकतों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन में देश के ज्वलंत मुद्दों पर तीन दिनों तक विचार-विमर्श होगा।

उदवंतनगर में होगा सीएनजी परियोजना का निर्माण

भास्कर न्यूज़ | आरा

स्थानीय प्रखंड उदवंतनगर अंचल में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 ए पर सीएनजी से संबंधित निर्माण कार्य आज से शुरू होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार, यह कार्य नेशनल हाइवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कराया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आम लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही, सीएनजी से जुड़े ढांचे के विकास से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परियोजना निदेशक, एनएचएआई के अनुसार, चरपोखरी अंचल में सीएनजी निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि तरारी अंचल में कार्य तेजी से चल रहा है। उदवंत नगर में 8 मई से काम शुरू होने के साथ ही पूरे जिले में परियोजना को और गति मिलने की उम्मीद है।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थल पर मौजूद कर्मियों से बातचीत कर कार्य की स्थिति जानी और मौके पर ही कई जरूरी निर्देश दिए। गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन

आरा | माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार दिनांक 9 मई 2026 शनिवारको आरा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाएगा। इस लोक अदालत में परिवहन विभाग से संबंधित लंबित ई-चालान एवं ट्रैफिक मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर द्वारा कुल 19 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। ट्रैफिक मामलों में पक्षकारों को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 3 विशेष बेंच ट्रैफिक एवं ई-चालान मामलों के निष्पादन के लिए निर्धारित की गई हैं।

आर्थिक विकास का गति मिलेगा। [illegible]

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)

ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठण तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि की वसूली हतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **"जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / कर्जदार/ जमानतदार का नाम एवं पता	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (सम्पत्ति(यों) का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि। घ) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारिख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
1.	पीएनबी- शाखा: एकवना (751900) संतोष कुमार पिता शीतल प्रसाद खाता नं.- 751900JH00000673, 751900JK00000120 & 751900ND00000017 श्री संतोष कुमार पिता-श्री शीतल प्रसाद (कर्जदार) श्री शीतल प्रसाद पिता-स्व. बुलकी सिंह (बंधककर्ता) सभी के आवास का पता- ग्राम-छोटा कल्याणपुर, पोस्ट-भेलैन, चन्दवा, थाना-उदवंतनगर, जिला-भोजपुर, बिहार-802312	अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश अवस्थित है:- मौजा-कल्याणपुर, थाना नं.-229, खाता नं.-140, प्लॉट नं.-141, चक खाता नं.-95, चक प्लॉट नं.-124, थाना एवं अंचल-उदवंतनगर, जिला-भोजपुर, रकवा-5.0 डेसीमल, जिसका पंजीकृत सेल डीड नं.-4613 दिनांक 06.06.1983 है जो श्री शीतल प्रसाद पिता-स्व. बुलकी सिंह के नाम से है। चौहद्दी: उत्तर-रेलवे लाइन, दक्षिण-अवधेश कुमार, पूरब-धनुकधारी प्रसाद, पश्चिम-मुन्ना देवी। अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश अवस्थित है:- मौजा-कल्याणपुर, थाना नं.-229, सर्वे खाता नं.-147, चक खाता नं.-105, सर्वे प्लॉट नं.-425/622, चक प्लॉट नं.-121, थाना एवं अंचल-उदवंतनगर, जिला-भोजपुर, रकवा-3.0 डेसीमल, जिसका पंजीकृत सेल डीड नं.-10707 दिनांक 07.12.1985 है जो श्री शीतल प्रसाद पिता-स्व. बुलकी सिंह के नाम से है। चौहद्दी: उत्तर-रास्ता रेलवे लाइन, दक्षिण-धनुकधारी प्रसाद, पूरब-ब्रह्मदेव सहाय, पश्चिम-राज किशोर प्रसाद।	क) 09.02.2023 ख) रु. 41,34,909.09/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 13.06.2023 घ) सांकेतिक ङ) रु. 55,01,039.09/- + 30.4.2026 से आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 32,09,220/- ख) रु. 3,20,922/- ग) रु. 25,000/-	26.05.2026 दोपहर 12:00 से सायं 04:00 तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होंगी।

1. संपत्तियाँ **"जहाँ है जैसी है"** और **"जो है जैसी है"** तथा **"जो भी है जैसी है"** के आधार पर बेची जा रही है।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **26/05/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक** की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in** देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)

सर्किल ऑफिस सैम आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

फोन नं.: 7407563366, ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठण तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि की वसूली हतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **"जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / कर्जदार/ जमानतदार का नाम एवं पता	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (सम्पत्ति(यों) का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि। घ) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारिख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
1.	पीएनबी-शाखा: बरहारा (122800) मेसर्स खुशी ट्रेडर्स, प्रोप.-श्रीमती अंजली देवी पति-श्री मनीष कुमार खाता नं.- 1228008700006224 एवं 122800JH20062236 श्रीमती अंजली देवी पति-श्री मनीष कुमार श्री मनीष कुमार पिता-श्री मिथलेश कुमार सिंह (जमानतदार/बंधककर्ता) सभी के आवास का पता- ग्राम-क्रितपुरा, पोस्ट-विरामपुर, गिद्धा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802314, एक और पता-पोस्ट-फरना, थाना-बरहारा, जिला-भोजपुर, बिहार-802315	अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश अवस्थित है:- मौजा-धनपुरा, थाना नं.-164, पुराना वार्ड नं.-32, नगर निगम वार्ड नं.-34, थाना-आरा शहर, जिला-भोजपुर, पुराना खाता नं.-188, नया खाता नं.-600, पुराना प्लॉट नं.-1020, नया प्लॉट नं.-6730, म्युनिसिपल प्लॉट नं.-1725 एवं 1726, रकवा-01 कट्ठा (3.125 डेसीमल) जिसका सेल डीड नं.-13384 दिनांक 27.11.2013 है जो मनीष कुमार पिता-मिथलेश कुमार सिंह के नाम से है। चौहद्दी: उत्तर-03 फीट चौड़ा निजी रास्ता, दक्षिण-मसोमात गुलजारो कुंवर, पूरब-बच्चन सिंह, पश्चिम-नित्र लेखकारी।	क) 17.10.2022 ख) रु. 41,61,480.07/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 07.02.2023 घ) सांकेतिक ङ) रु. 3372620.57/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 15,99,750/- ख) रु. 1,59,975/- ग) रु. 20,000/-	26.05.2026 दोपहर 12:00 से सायं 04:00 तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होंगी।

1. संपत्तियाँ **"जहाँ है जैसी है"** और **"जो है जैसी है"** तथा **"जो भी है जैसी है"** के आधार पर बेची जा रही है।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **26/05/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक** की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in** देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी